न्यायालयः– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी :– रूपेन्द्र चौहान, आर.जे.एस.

नियमित अपराधिक प्रकरण संख्या :– 560/2017

सी.आई.एस.सं. :– 560/2017

राजस्थान राज्य

–अभियोगी

बनाम

नेमीचंद पुत्र भेरूबक्ष उम्र 63 वर्ष निवासी भरनाई रोड भैरूजी का थान बुडसू पुलिस थाना मकराना जिला डीडवाना कुचामन।

–अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 504, 447 भारतीय दंड संहिता

उपस्थिति:–

1. राज्य की ओर से :– विद्वान अभियोजन अधिकारी।
2. अभियुक्त की ओर से :– विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप सिंह राठौड़।

–::निर्णय::– **दिनांकः–04.07.2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 05.07.2017 को परिवादी नवरत्नमल लाटा पुत्र किशनलाल निवासी बुडसू ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 05.07.2017 को शाम 6 बजे वह अपने खेत खंसरा नंबर 191/1 को 6 बजे वह अपने खेत खसरा नंबर न 191/1 जो उसके ही कब्जे स्वामित्व में है उसमें ट्रेक्टर से काश्त करवा रहा था तभी मुलजिम नेमीचंद पुत्र भेरूबक्ष शर्मा, सुनिल शर्मा पुत्र नेमीचंद शर्मा निवासी बुडसू हाथों में लाठियां लेकर आये तथा गाली गलौच करते हुये मारपीट करने लगे तथा नेमीचंद ने उसकी जेब से 5000 रूपये निकल लिये उसकी पत्नी ने बीच बचाव किया तो मुलजिमानों ने उसको भी धक्का देकर गिरा दिया मारपीट से उसके चोटें आयी

है तथा मुलजिम सुनिल ने बायं कान पर मारी जिससे उससे उसे सुनायी भी नहीं दे रहा है। ......इत्यादि।

2. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना मकराना द्वारा प्रकरण संख्या 258/2017 अंतर्गत धारा 447, 323, 379, 504, 341/34 भादस में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 447, 323, 341, 504 भादस के तहत न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अभियुक्त को धारा 447, 323, 341, 504 भादस का आरोप मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया जिसे अभियुक्त ने सुन व समझ कर आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. साक्ष्य अभियोजन में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड. 01 दामोदर, पी.ड 02 जवानाराम सोनी, पी.ड. 03 सुरेश कुमार, पी.ड. 04 योगेन्द्र सिंह कच्छावा, पी.ड. 05 मुमताज खां, पी.ड. 06 मन्नि लाटा, पी.ड. 07 नवरत्नमल लाटा के बयान लेखबद्ध कराये गये तथा दस्तावेजी में नक्शा मौका प्रदर्श पी–1, पुलिस बयान प्रदर्श पी 2, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 3, रिपोर्ट प्रदर्श पी 4, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 5, जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 6, नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी 7 को प्रदर्शित करवाया गया।

5. अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.स. किया गया तो उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया तथा झूठा फंसाये जाने का कथन किया एवं साक्ष्य सफाई पेश करने से इंकार किया।

6. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से यह कथन रहे है कि उसे प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। जिस स्थान पर घटना घटित होना बताया गया है उस स्थान पर केवल मात्र परिवादी का का स्वामित्व या कब्जा रहा हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। अपितु खेत शामलाती है। अभियुक्त द्वारा कोई भी गाली गलौच आदि की हो ऐसे कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। प्रकरण में स्वयं परिवादी व उसकी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी गवाहन द्वारा अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया हो स्वयं परिवादी व उसकी पत्नी द्वारा बढा चढाकर साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है, जबकि चोट

प्रतिवेदन में केवल मात्र परिवादी के शरीर पर खरोंचनुमा चोट होना बतायी गयी है जो स्वयं ही हो सकती है व इन आधारों पर अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी व स्वयं के तर्कों के संबंध में न्यायिक दृष्टांत धन्नाराम व अन्य बनाम सरकार 2000(1) RRC Page 335 पेश किया।

7. अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये कथन किये है कि अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित हुये है व इन आधारों पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने की प्रार्थना की गयी।

8. उभय पक्ष के तर्कों, तथ्यों पर विचार किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः–

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 05.07.2017 को समय शाम के सवा 6 बजे सरहद मौजा बुडसू में परिवादी को इच्छित दिशा में जाने से निवारित कर उसके साथ मारपीट कर उसे साधारण उपहति कारित की व गाली गलौच कर अपमानित किया तथा परिवादी के खेत में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर आपराधिक अतिचार किया ?

(2) यदि हां तो समुचित दण्ड क्या होगा?

9. उभयपक्ष की ओर से दिये गये तर्कों के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिससे दर्शित हो रहा है कि परिवादी नवरत्नमल लाठा द्वारा लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 न्यायालय में इस आशय की मुख्य रूप से प्रस्तुत की गयी है कि दिनांक 05.07.2017 को शाम को 6 बजे वह अपने खेत नबंर 191/1 जो उसके कब्जे स्वामित्व का है में ट्रेक्टर से काश्त कर रहा था तभी नेमीचंद, सुनील हाथों में लाठियां लेकर आये गाली गलौच करते हुये मारपीट करने लग गये। नेमीचंद की जेब में रखे पांच हजार रूपये निकाल लिये। उसकी पत्नी ने बीचबचाव किया तो उसे भी धक्का देकर गिरा दिया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना मकराना में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 258/2017 अंतर्गत धारा 447, 323, 379, 504/34 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त नेमीचंद के विरूद्ध धारा 447, 323, 341, 504 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय द्वारा भी इन्हीं धाराओं में अभियुक्त को आरोप सारांश सुनाये गये है।

10. अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है, के अवलोकन से दर्शित हो रहा है कि दामोदर पीडब्ल्यू–1 के रूप में परीक्षित हुआ उक्त गवाह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये गये हैं कि आज से करीब पांच साल पहले नवरतन के घर बोरावड़ में पुलिस आई थी। पुलिस ने उससे कहा था कि वह मौका देखने आए है आप कागजों पर हस्ताक्षर कर दो फिर उसने हस्ताक्षर कर दिए थे। नक्शा मौका प्रदर्श पी 01 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस वाले झगड़ा हुआ इसलिये आए थे। दौराने जिरह गवाह के कथन रहे है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 01 में पुलिस वालो ने क्या लिखा उसे पढ़कर नहीं सुनाया था और उसने भी पढ़कर नहीं देखा। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 01 पर उसने पुलिस वालों के कहने से हस्ताक्षर किए थे। प्रदर्श पी 01 पर उसके हस्ताक्षर दिन में दस ग्यारह बजे मुस्तगीस नवरतन लाटा के घर पर करवाए थे।

11. गवाह पीडब्ल्यू–2 जवानाराम सोनी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि दिनांक 05.07.2017 को शाम के सवा छ करीब की बात है। वह कुकडौद की तरफ किसी ग्राहक के पास गया था यहां से वापस आ रहा था तब नेमीचंद व उनका लड़का सुनील खेत से आ रहे थे, वहां कुछ नहीं हुआ ये अपने घर चले गए और वह अपने घर चला गया फिर शाम को उसे पता चला कि नेमीचंद व नवरतन लाटा के बीच झगडा हुआ था फिर दूसरे दिन करीब बारह पौने बारह बजे के लगभग पुलिस आई थी और खेत में मौका मुआयना करने गई थी वह भी वहां गया था जहां लड़ाई झगड़े के निशान थे। नक्शा मौका बनाया उस वक्त वहां दामोदर और नवरतन लाटा भी थे। नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह के कथन रहे है कि उसे शाम को नवरतन लाटा की पत्नी मणी लाटा ने बताया था कि नेमीचंद व नवरतन के बीच आपस में झगड़ा हो गया। यह कहना सही है कि वह उस वक्त खेत में नहीं गया था। लाटाजी उसी दिन शाम को दवाई लेने जयपुर चले गए थे, और रात को बारह बजे वापस आए थे। उसने घटना स्थल पर खून वगैरह नहीं देखा था क्योंकि वह उस वक्त खेत पर नहीं गया था वह दूसरे दिन गया था। यह कहना सही है कि उसने दूसरे दिन खेत पर खून नहीं देखा था। लाटा जी के कपड़े खून से भरे नहीं देखे थे। लाटा जी के खेत के पूर्व दिशा में सुखाराम जी के खेत है व पश्चिम तरफ नाडी है और सुखाराम जी का ही खेत है, दक्षिण दिशा में नेमीचंद का खेत है, उत्तर दिशा में सुखाराम का खेत है। यह कहना सही है कि वह कुकडौद से वापस आ रहा था उस वक्त घटना स्थल पर कोई पड़ौसो खेत वाले इकट्ठे नहीं हो

रखे थे। लाटाजी की घर व उसकी दुकान व घर व मुल्जिमान का घर आस पास में ही है। यह कहना सही है कि लाटा जी उसके पड़ौसी है इसलिए मिलते जुलते रहते है। यह कहना गलत है कि लाटा जी उसकी दुकान पर आते जाते हो। यह कहना गलत है कि लाटा जी उसके धर्म भाई बने हुए हो बल्कि वे उसके पड़ौसी है। यह कहना गलत है कि लाटा जी उसके पड़ौसी होने के कारण वह आज झूठे बयान दे रहा है।

12. गवाह पीडब्ल्यू–3 सुरेश कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि दिनांक 05.07.2017 को शाम के लगभग पांच छ बजे की बात है। वह नवरतन के खेत में ट्रेक्टर चला रहा था, जुताई कर रहा था तब नेमीचंद ने कहा कि यह उनका रास्ता है आप ट्रेक्टर बंद कर दो। इसके बाद वे वहां से आ गए। उसके सामने कोई झगड़ा नहीं हुआ, बाद में हुआ होगा। दौराने जिरह गवाह के कथन रहे है कि यह कहना सही है कि उसने कोई घटना नहीं देखी। यह कहना सही है कि नेमीचंद का खेत आया हुआ है इसलिए उसने टेक्टर चलाने के लिए मना किया था।

13. गवाह पीडब्ल्यू–4 योगेन्द्र सिंह कच्छावा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि वह दिनांक 05.07.2017 को सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र मकराना में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन थानाधिकारी मकराना की तहरीर पर मजरूब नवरत्न पुत्र किशनलाल, उम्र–66 साल निवासी बूडसू के शरीर पर आई चोटो का मेडिकल मुआयना किया था। जिसके शरीर पर निम्न चोटे कारित थी चोट सं 01. खरोंच बाई आंख के नीचे आकार एक गुणा 1/8 सेमी, चोट सं 02. खरोंच 01/8 गुणा 1 सेमी नाक पर बाई तरफ। दोनो चोटे सामान्य प्रकृति व कुन्द हथियार से कारित थी। चोटों की अवधी छ से दस घंटों के भीतर की थी। मजरूब ने पीठ पर व दोनो कंधो पर दर्द होना जाहिर किया। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 03 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी मजरूब के पहचान चिन्ह अंकित है। दौराने जिरह गवाह के कथन रहे है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 03 में वर्णित चोट संख्या 01 व 02 मजरूब यदि बाई तरफ गिरे तो आ सकती है।

14. गवाह पीडब्ल्यू–5 मुमताज खां ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि वह दिनांक 05.07.2017 को ए.एस.आई. के पद पर पुलिस थाना मकराना में कार्यरत था। उस दिन प्रार्थी नवरतनमल लाटा द्वारा उपस्थित थाना होकर थाना प्रभारी उदयलाल एस.आई. के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मजमून से मामला जुर्म धारा

447,323,379,504/34 भारतीय दण्ड संहिता के वकू में आना पाये जाने पर प्रकरण संख्या 258/2017 दर्ज होकर पत्रावली वास्ते अनुसंधान उसे प्राप्त हुई। रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 है जिस पर ए से बी प्रार्थी व सी से डी थानाप्रभारी उदयलाल के हस्ताक्षर है। चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–5 है जिस पर ए से बी प्रार्थी व सी से डी थानाप्रभारी उदयलाल जी के हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान प्रार्थी नवरतनमल की निशादेही से घटना स्थल खेत खसरा नंबर 190 प्रार्थी के खेत का नक्शा व हालात मौका गवाहान की मौजूदगी में तैयार किया था जो प्रदर्श पी–1 है जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान के, इ से एफ उसके व जी से एच प्रार्थी के हस्ताक्षर है। प्रार्थी नवरतनमल लाटा, गवाह श्रीमती मन्नी लाटा, सुरेश के बयान उनके कहेनुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये गये। प्रार्थी नवरतन का मेडिकल मुआयना करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया जो प्रदर्श पी–3 है जिस पर इ से एफ उसके शामिल पत्रावली के हस्ताक्षर है। घटना स्थल की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई जो प्रदर्श पी–6 है जिस पर ए से बी उसके शामिल पत्रावली के हस्ताक्षर है तथा नक्शा टैस प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया जो प्रदर्श पी 7 है जिस पर ए से बी उसके शामिल पत्रावली के हस्ताक्षर है। बाद अनुसंधान मुल्जिम नेमीचंद के विरूद्ध जुर्म धारा 447,323,341,504 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही थानाधिकारी गोमाराम को सुपुर्द की गई जिनके द्वारा उक्त मुल्जिम के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। थानाप्रभारी उदयलाल एस.आई. व थानाधिकारी गोमाराम सी.आई. के हस्ताक्षर व उनके साथ काम करने की वजह से पहचानता है। दौराने जिरह गवाह के कथन रहे है कि यह कहना सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 में कार्यवाही पुलिस में मजरूब नोरतमल के शरीर पर कहां कहां चोटी आई थी इसका अंकन कार्यवाही पुलिस में नहीं किया। यह कहना सही है कि घटना स्थल पर कोई खून वगैरह पड़ा हुआ नही था। यह कहना सही है कि मजरूब नवरतन मल को एम.ओ. योगेन्द्र कच्छावा द्वारा हाई सेंटर के लिए रैफर नहीं किया गया। प्रदर्श पी–6 मुल्जिम नेमीचंद व नवरतमल की संयुक्त खातेदारी की जमीन है। यह कहना गलत है कि उसने गलत तफ्तीश करके गलत चालान पेश किया हो। यह कहना गलत है कि उसने समस्त कार्यवाही थाने पर बैठकर की हो।

15. गवाह पीडब्ल्यू–6 मन्नि लाटा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि आज से लगभग 8 साल 7 महिने पुरानी बात है। समय शाम के लगभग 5–6 बज रहे थे। उनका खेत बुडसु गांव में आया हुआ है। जिसके खसरा नंबर उसे याद नही है। घटना के दिन वह खेत बोह रहे थे। वक्त घटना वह और उसके पति नवरत्न घटनास्थल पर थे। नेमीचन्द्र व उसका पुत्र सुनील उनके खेत से अपने खेत में जा रहे थे। उनक खेत मे से रास्ता नहीं है इसलिए उन्होंने उसको जाने से रोका तो नेमीचन्द्र व सुनील द्वारा उसके पति नवरत्न के साथ मारपीट की। मारपीट थाप मुक्को से की गई। मारपीट में उसके पति के कान का पर्दा फट गया व मुह–नांक से खुन आया। उसने बीचबचाव किया तो नेमीचंद व सुनील ने उसके धक्का मारा। वह बचाव के लिए अपने खेत से बाहर आकर चिल्लाई लेकिन बीचबचाव के लिए कोई नहीं था। नेमीचंद व उसके पुत्र सुनील ने उसके पति नवरत्न के उपर बैठकर मारपीट की। उसके पति खेत में बुआई हेतु टेक्टर वाले को देने के लिए लाये थे जो उनकी जैब में थे इन लोगो ने मारपीट के समय निकाल लिये। मारपीट के बाद उसके पति ने किसी को फोन करके बुलाया व अस्पताल आये जब वे वापस घर पर गये तब तक रात्री के 2 बज गये थे। घटना की रिपोर्ट उसके पति द्वारा थाने पर दी गई। दौराने जिरह गवाह के कथन रहे है कि उसके पड़ोस में नेमीचंद, दीपू जाट, भवरजी जाट और रास्ता छोडकर बनवारी जी का खेत है। खेतो मे निनान कर रहे थे। आज से पहले उसके बयान नहीं हुवे। खेत मे बिजारी करवा रहे थे। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि बिजारी सुरेश कुमार पुत्र रामुराम जाट निवासी बुडसु वाले से करवा रहे थे। यह कहना सही है कि डाईवर उनके खेत में ही बिजारी कर रहा था अज खुद कहा कि लेकिन वह उन से बहुत दुर टेक्टर में गाने चलाकर बिजारी कर रहा था। वो लास्ट मे मौके पर आया था। वह उसके साथ टेक्टर पर बैठकर घर पर आ गये थे। उसके पति नवरत्न जी लाठा को ट्रैक्टर पर बैठाकर ग्राम बुडसु में नहीं लेके आये थे। फिर उसके पति ने किसी को फोन करके गाडी वाले को बुलाया था वो उसके पति को डॉक्टर के पास मकराना अस्पताल लेके आया था, बुडसु अस्पताल ईलाज करवाने के लिए नहीं लेके गये थे। उसके पति को नीचे गिराकर मारपीट की जिससे पुरा शरीर नीला हो गया। मुह पर कितनी चोटे आई गिनती नहीं करी अज खुद कहा कि मुंह व नाक से खून आ गया। कपडे खून से भर गये थे, मर गया समझकर छोड दिया था उसके पति बेहोश नहीं हुवे थे पुरा शरीर नीला पड गया था। गर्दन, मुंह, पीठ सभी नीले हो गये थे। अनगिनत चोटे मारी तबी मंगरो मे भी नील जम गई थी। कुल कितनी नीले जम गई थी उसने

नहीं देखा, अज खुद कहा कि कंधे से लेकर कोहनी तक नीली पड़ गई थी। उसके पति को सीधे मकराना अस्पताल लेके आये थे उसके घर पर नही लेके आये थे। घटनास्थल पर कोई खुन नहीं पड़ा था अज खुद कहा कि कपडे व रूमाल पर लगा था। पुलिस वाले घर पर नही आये खेत में आये थे। पुलिस वाले दुसरे दिन आये तब वह ही खेत में थी। पुलिस बयान प्रदर्श डी 1 में ए से बी हिस्सा सुनकर कहा उसने नहीं लिखवाया व सी से डी भाग सुनकर कहा कि नेमीचंद के साथ उसका बेटा सुनील भी था। यह बात सही है कि प्रदर्श डी 1 में उसके पति के मुह व नाक में से खून आ गया व रूमाल और कपडे खून से भर गये हो। और पुरा शरीर नीला पड गया हो यह बात नहीं लिखी हुई है। वह उसके पति के साथ में मकराना ईलाज करवाया तब साथ नहीं आई तब उसके पति व गाडी वाला ही आये थे। मुलजिम नेमीचंद उसका देवर है। नेमीचंद का लडका सीए किया हुआ है तो उसे मालूम नही है। इस घटना से पहले खेत के विवाद व बटवारे को लेकर विवाद चल रहा हो तो उसे पता नहीं। यह कहना सही है कि इस खेत के रास्ते से जाते थे। यह कहना सही हे कि खेत के रास्ते व बटवारे को लेकर दावा चल रहा है। यह कहना गलत है कि मुलजिम व मुस्तगीस का खेत सामलाते हों। घटना के वक्त खेत किसी को बोहने के लिए बताया हो तो पता नहीं। वे खुद खेती करते नहीं है बताते ही है।

16. गवाह पी.ड 7 नवरत्नमल लाटा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये है कि दिनांक 05.07.2017 शाम के करीब 6–6.30 बजे की बात है। वह अपना खेत बिजवा रहा था तब उसके साथ उसकी पत्नी मन्निदेवी व बिजने वाला सुरेश जाखड था। नेमीचंद व उसका लडका सुनिल उसके खेत के बाये तरफ से आये जिनको उसने रोकने की कोशिश की तो इन लोगो ने उसे धक्का दिया। नेमीचंद चलने के लिए अपने साथ एक लकडी रखता है जिस लकड़ी से उसके साथ मे नेमीचंद ने मारपीट की और उसे नीचे गिरा दिया और उसके उपर बैठ गया। वह बिजने वाले को 5000 रूपये देने के लिए लेके आया था जो उसके जेब में नेमीचंद ने निकाल लिये। नेमीचंद ने उसकी अंगुली डालकर मुह फाडने की कोशिश की जिससे उसके खून आ गया। नेमीचंद के लड़के ने उसके हाथ व कान पर मारपीट की जिसको छुडाने की कोशिश उसकी पत्नी द्वारा की गई। जिसे धक्का दे दिया जिससे वो गिर गई। उसकी पत्नी खेत के बाहर जाकर बचाव के लिए चिल्लाई लेकिन कोई नहीं आया। खेत बिज रहा सुरेश जाखड उन से काफी दूर था। जब सुरेश जाखड इनको आता हुआ दिखा तो यह लोग खेत से बाहर निकल गये। फिर उसने राजेन्द्र सोनी को फोन करके गाडी बुलाई फिर मकराना पुलिस थाने मे आया

जहा पर उसने रिपोर्ट दी जो प्रदर्श पी 4 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस द्वारा उसकी चोटो का मेडिकल करवाया गया था। चोट प्रतिवेदन पत्रावली पर सलग्न है। उसे जयपुर रेफर किया गया था। दिनांक 07.07.2017 को मुमताज खां ने घटनास्थल का निरीक्षण कर घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया जो प्रदर्श पी 1 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 बनवाते समय जवानाराम वही पर स्थित था। वह जयपुर दिनांक 08.07.2017 को गया जहा एसएम अस्पताल मे दुसरे दिन बुलाया गया था। जहा पर उसके एक्सरे हुवे थे जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस को दी थी। एक्सरे फिल्म अभी उसके पास उपलब्ध है। मारपीट से उसके बाये कान में चोट आई थी जिससे उसे आज भी सुनाई नही देता है।

17. अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है का भी इसी संबंध में अवलोकन किया गया। जिससे दर्शित हो रहा है कि प्रकरण का परिवादी नवरतन न्यायालय में गवाह पी.ड 7 के रूप में उपस्थित हुआ है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन करते हुये घटना दिनांक 05.07.2017 की होना बताकर उस दिन नेमीचंद व सुनील द्वारा परिवादी द्वारा बोये गये खेत में आने से रोकने पर उसके साथ में लकडी से मारपीट करने पांच हजार रूपये जेब से निकाल लेने, उसकी पत्नी द्वारा बीच बचाव करने पर उसे धक्का देकर गिरा देना व सुरेश जाखड जो बचाने वाला था को आता देखकर भाग जाना, उसे जयपुर रेफर किये जाने आदि के संबंध में कथन किये है, परंतु उक्त गवाह द्वारा दी गयी साक्ष्य से यह भी दर्शित हो रहा है कि उक्त गवाह द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 में उल्लेखित तथ्यों से बढा चढाकर उक्त गवाह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये है। साथ ही उक्त गवाह द्वारा अपनी जिरह में यह भी कथन किये है कि प्रदर्श पी 4 में उसके शरीर पर कहां कहां चोटें आयी यह लिखा हुआ नहीं है। गवाह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में नेमीचंद द्वारा अंगुली डालकर मुंह फाड़ने पर उसके खुन आना, हाथ व कान पर मारपीट से चोट आने व उसे जयपुर रेफर कये जाने के कथन किये है, परंतु इसी संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 3 के अवलोकन से यह दर्शित हो रहा है कि उक्त चोट प्रतिवेदन में केवल मात्र दो खरोंचनुमा चोट होना बताया गयी है। इसी संबंध में न्यायालय में गवाह पी.ड 4 योगेन्द्र सिंह कच्छावा उपस्थित हुये जिसने भी चोट प्रतिवेदन में चोट संख्या 1 खरोंच बाई आंख के नीचे व चोट संख्या 2 नाक के बाई तरफ होना बतायी गयी है। उक्त गवाह द्वारा स्वयं की मुख्य परीक्षा में यह भी कथन किये है कि जब सुरेश जाखड़ जो उनके खेत में

बिजाई कर रहा था को आते हुये देखकर अभियुक्त खेत से बाहर भाग गये, परंतु इसी संबंध में न्यायालय में सुरेश गवाह पी.ड 3 के रूप में उपस्थित हुआ है, उक्त गवाह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन पक्ष की कहानी का किसी प्रकार समर्थन नहीं कर उसके सामने झगड़ा नहीं होने के कथन किये है। गवाह पी.ड 7 नवरतन मल लाठा द्वारा स्वयं को जयपुर रेफर किये जाने के तथ्य भी मुख्य परीक्षा में बताये है, परंतु इस संबंध में कोई भी दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत कर प्रदर्शीत नही करवाये गये है जो उसे घटना के दिन उसके शरीर पर आयी चोटों के संबंध में जयपुर रेफर किये जाने के तथ्य को दर्शित करता हो। इसी संबंध में गवाह पी.ड 6 मन्नि लाटा जो परिवादी की पत्नी है की भी साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो यह दर्शित हो रहा है कि उक्त गवाह द्वारा भी अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन किया है व कथन किया है कि उनके खेत में रास्ता नहीं है इसलिये नेमीचंद व उसके पुत्र सुनील खेत में से नहीं जाने से रोका गया तो उनके द्वारा उसके पति के साथ मारपीट की गयी। जिससे उसके पति का कान का पर्दा फट गया, नाक, मुंह से खुन आया। उक्त तथ्य के संबंध में पूर्व में किये गये विवेचन के अनुसार परिवादी/मजरूब नवरतन लाटा के शरीर पर आयी चोटों के संबंध में चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 3 में इस प्रकार की कोई भी चोट का उल्लेख नहीं है जो कान के पर्दे को फाड़ने वाला, मुंह, नाक से खुन आने के तथ्य को बताता हो इस के अतिरिक्त उक्त गवाह द्वारा अपनी जिरह में इस तथ्य को भी स्वीकार किया गया है कि वे खेत में बिजारी सुरेश कुमार से करवा रहे थे, परंतु गवाह के आगे यह भी कथन रहे है कि वह दूर होने व ट्रेक्टर में गाने चलाकर बिजाई कर रहा था, परंतु इसी संबंध में गवाह पी.ड 7 नवरत्नमल लाटा द्वारा यह भी कथन किये गये है कि जब सुरेश आया तब अभियुक्तगण उसे आता देखकर वे चले गये। ऐसी दशा में नवरत्न मल लाटा व उसकी पत्नी द्वारा दी गयी साक्ष्य में विरोधाभास है। साथ ही गवाह पी.ड 6 मन्नि लाटा स्वयं की जिरह में यह भी कथन करती है कि वह ट्रेक्टर पर बेठकर घर पर आयी। पत्रावली के ही अवलोकन से यह भी दर्शित हो रहा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य गवाहन में गवाह पी.ड 1 दामोदर नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 के औपचारिक गवाह है। जिसने नक्शे मौके पर स्वयं के हस्ताक्षर होने के कथन किये है। इसी प्रकार गवाह पी.ड 2 जवानाराम सोनी स्वयं की मुख्य परीक्षा में यह कथन किये है कि दिनांक 05.07.2017 को शाम करीब सवा 6 बजे की बात है। वह कुकडौद की तरफ से वापस आ रहा था तब नेमीचंद व उसका लड़का सुनिल खेत से आ रहे थे वहां कुछ नहीं हुआ था फिर

दूसरे दिन पुलिस आयी खेत का नक्शा मौका बनाया। नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 पर स्वयं के हस्ताक्षर होने के कथन किये है। इसी प्रकार गवाह पी.ड 3 सुरेश ने भी अभियेाजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं करते हुये उक्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये है कि उसके सामने कोई झगड़ा नहीं हुआ था। गवाह पी.ड 5 मुमताज खां हस्तगत प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी रहे है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना के संबंध में अनुसंधान कर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 447, 323, 341, 504 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप प्रमाणित पाये जाने के कथन किये है। साथ ही जिरह में यह भी कथन किये है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 की कार्यवाही पुलिस में मजरूब नवरतन मल के शरीर पर कहां कहां चोट आयी इसका अंकन नहीं है। घटनास्थल पर कोई खुन पड़ा हुआ नहीं था। नवरत्न को एमओ योगेन्द्र कच्छावा द्वारा हायर सेन्टर के लिये रेफर नहीं किया था। प्रदर्श पी 6 मुलजिम नेमीचंद व परिवादी नवरत्न की संयुक्त खातेदारी की भूमि है।

18. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे दर्शित हो रहा है कि लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 में अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के साथ गाली गलौच कर मारपीट करने व पांच हजार रूपये छीनकर ले जाने के तथ्य बताये गये है, परंतु अनुसंधान अधिकारी द्वारा दौराने अनुसंधान केवल मात्र अभियुक्त नेमीचन्द के विरूद्ध आरोप धारा 447,323,341,504 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप प्रमाणित मानकर नतीजा प्रस्तुत किया हो। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष जो साक्ष्य प्रस्तुत की गयी हो के अवलोकन से दर्शित हो रहा है कि प्रकरण का परिवादी गवाह पी.ड 7 नवरत्न मल लाठा व उसकी पत्नी पी.ड 6 मन्नी लाटा जो हस्तगत प्रकरण के सबसे महत्वपूर्ण साक्षी है दोनों द्वारा ही अपनी साक्ष्य में अभियुक्त नेमीचंद द्वारा उनके साथ गाली गलौच किये जाने के कोई तथ्य नहीं बताये है। इसके अतिरिक्त धारा 447 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप के संबंध में भी पत्रावली का अवलोकन किया जावें तो दर्शित हो रहा है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 में यह तथ्य उल्लेखित किये गये है कि खसरा नंबर 191/1 परिवादी के स्वमित्व व कब्जे का है। जिसमें अभियुक्त नेमीचंद व सुनील हाथ में लाठियां लेकर आये थे, परंतु इस संबंध में पत्रावली पर आयी अन्य साक्ष्य में घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 का भी अवलोकन किया गया जिससे यह दर्शित हो रहा है कि प्रदर्श पी 1 में खसरा नंबर 190

में एक्स स्थान पर घटना घटित होना बताया गया है जो प्रार्थी नवरत्न मल की होना अंकित किया गया है जो लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 में उल्लेखित तथ्यों से विरोधाभासी है साथ ही घटनास्थल से संबंधित जमाबंदी प्रदर्श पी 6 का अवलोकन करने से यह दर्शित हो रहा है कि उक्त जमाबंदी खसरा संख्या 190 व 190/1 में नेमीचंद व नवरत्न 1/2–1/2 के हिस्सेदार है। पत्रावली पर ऐसी कोई भी सुदृढ स्पष्ट साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शित करती हो कि खसरा संख्या 190/1 केवल मात्र परिवादी नेमीचंद के स्वामित्व या कब्जे की रही हो। इसी संबंध में दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का भी ससम्मान अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। जिसके अनुसार यदि परिवादी पक्ष अपने कब्जे को साबित करने में असफल रहे है व राजस्व रिकॉर्ड व साक्ष्य से दोनों पक्षों का कब्जा साबित हो तो धारा 447 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप प्रमाणित नहीं माने जा सकते हैं। हस्तगत प्रकरण में जिस स्थान पर घटना घटित होना बताया गया है के स्वामित्व व कब्जे के संबंध में लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 तथा नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 में विरोधाभासी तथ्य अंकित किये गये है। साथ ही खसरा संख्या 190/1 केवल मात्र परिवादी के स्वामित्व या कब्जे का हो ऐसे भी कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है जिस आधार पर धारा 447 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से संदेह से परे साबित नहीं होते है।

19. पत्रावली पर आयी साक्ष्य के संबंध में पूर्व में किये गये विवेचन से हालांकि यह दर्शित हुआ है कि लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 में उल्लेखित तथ्य के अतिरिक्त अन्य तथ्य गवाह पी.ड 6 मन्नी लाटा व पी.ड 7 नवरत्नमल लाटा ने अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में बढा चढाकर बताया गया है, परंतु घटना के दिन अभियुक्त नेमीचंद द्वारा की गयी मारपीट के संबंध में परिवादी नवरत्न के शरीर पर आयी चोटों से संबंधित प्रमाण पत्रावली पर है। जिसका समर्थन चिकित्सकीय साक्ष्य गवाह पी.ड 4 डाक्टर योगेन्द्र कच्छावा द्वारा किया गया है। ऐसी दशा में उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध धारा 447, 504 भारतीय दण्ड संहिता को संदेह से परे साबित करने में असफल रहे है, परंतु धारा 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। जिस आधार पर अभियुक्त नेमीचंद को उसके विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध किया जाना व धारा 447, 504 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

20. अभियुक्त नेमीचंद पुत्र भेरूबक्ष उम्र 63 वर्ष निवासी भरनाई रोड भैरूजी का थान बुडसू पुलिस थाना मकराना जिला डीडवाना कुचामन को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341 भादस में दोषसिद्ध व आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 447, 504 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

(रूपेन्द्र चौहान)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मकराना जिला डीडवाना कुचामन।

दण्ड पर सुनवाई एवं दण्डादेश

21. सजा के बिन्दु पर सुना गया। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से यह कथन रहे है कि अभियुक्त वर्ष 2017 से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का नहीं है। अभियुक्त 63 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है। जिसके पूर्ववर्ति आपराधिक आचरण या दोषसिद्धि के कोई प्रमाण पत्रावली पर नहीं है व इन आधारों पर अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की गयी।

22. अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये अभियुक्त को तत्काल कारावास से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

23. उभयपक्षों की ओर से दिये गये तर्कों के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे दर्शित हो रहा है कि अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में किये गये विवेचन के आधार पर धारा 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप प्रमाणित पाये गये है जो गंभीरतम प्रकृति के अपराध नहीं है। अभियुक्त वर्ष 2017 से न्यायिक अन्वीक्षा भुगत रहा है एवं 63 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है। जिसके पूर्व में आपराधिक आचरण पत्रावली पर नहीं है। ऐसे में अभियुक्त को तत्काल कारावास से दण्डित किये जाने के स्थान पर परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–दण्डादेश–

24. अभियुक्त नेमीचंद पुत्र भेरूबक्ष उम्र 63 वर्ष निवासी भरनाई रोड भैरूजी का थान बुडसू पुलिस थाना मकराना जिला डीडवाना कुचामन को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341 में दोषी करार दिये जाने पर उसे तत्काल किसी कारावास की सजा या अर्थदण्ड से दण्डित नहीं किया जाकर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 का लाभ दिया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त 10,000/–रूपये अक्षरे दस हजार रूपये राशि का स्वयं का मुचलका एक वर्ष की अवधि के लिए इस आशय का पेश कर स्वीकृत व तस्दीक करावे कि वह शांति एवं सद्व्यवहार बनाये रखेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा व जब भी न्यायालय तलब करेगा उपस्थित आएगा व दिये जाने वाले दण्ड को भुगतने को तैयार रहेगा तो उसे परिवीक्षा पर रिहा कर दिया जावे।

25. साथ ही अभियुक्त परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के अभियुक्त से 1000/– रूपये अक्षरे एक हजार रूपये अभियोजन व्यय के भी न्यायालय में जमा करायेगा, जो बाद गुजरने मियाद अपील राजकोष में जमा किये जाये। अभियुक्त की नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

26. अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह माननीय अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत् अपने 437ए दं0प्र0सं0 के तहत दस हजार रुपये का जमानतनामा व इसी कदर राशि का मुचलका पेश कर तस्दीक करावे जो आगामी 06 माह के लिए प्रवृत्त रहेगा।

(रूपेन्द्र चौहान)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मकराना जिला डीडवाना कुचामन।

27. निर्णय एवं दंडादेश आज दिनांक 04.07.2026 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूपेन्द्र चौहान)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मकराना जिला डीडवाना कुचामन।